बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– 1630 /पटना, दिनांक– 01.09.15
सं0सं0–4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, बियाडा, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी।
सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011(समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–3(ii) (ग) में संशोधन के फलस्वरूप भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने के संबंध में उद्योग विभागीय पत्रांक 1474 दिनांक 11.08.2015 द्वारा निर्गत प्रकिया में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट के संबंध में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011(समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–3(ii) (ग) में संशोधन से संबंधित संकल्प ज्ञापांक–09, दिनांक–05.01.15 एवं संकल्प ज्ञापांक–1475 दिनांक 11.08.2015 निर्गत है। संकल्प ज्ञापांक–1475 दिनांक 11.08.2015 निर्गत होने के फलरूवरूप एतद् द्वारा उद्योग विभागीय पत्रांक 1474 दिनांक 11.08.2015 को अधिक्रांत(Supersede) करते हुए भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु उद्योग विभाग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए प्रकिया का निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है:–

1. उपर्युक्त छूट उन्हीं इकाइयों को देय होगा जिनका निवेश प्रस्ताव जिला सिंगल विण्डो क्लियरेन्स समिति/राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा अनुमोदित होगा।
2. यह प्रक्रियां दिनांक 11.08.2015 से ही प्रभावी होगी।
3. (i) जिला सिंगल विण्डो क्लियरेन्स समिति से अनुमोदित प्रस्ताव से संबंधित उद्यमियों/इकाइयों द्वारा यह सुविधा उत्पादन पूर्व प्राप्त करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र, विहित प्रपत्र–1 की कंडिका–11 के अनुसार शपथ–पत्र की मूल प्रति एवं विहित प्रपत्र–1 के द्वारा मांगे गए अन्य कागजात संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में समर्पित करना होगा। इकाइयों/उद्यमियों से आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सभी औपचारिकताएँ पूरी कर, निश्चित रूप से उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को अग्रसारित करेंगे। उद्योग निदेशक, बिहार, पटना अपने स्तर से सभी औपचारिकताएँ पूरी कर पन्द्रह दिनों के भीतर भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे एवं इसकी एक प्रति इकाई को भी उपलब्ध कराएंगे।

(ii) भूमि सम्परिवर्तन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की तिथि से दो वर्षों के भीतर इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के संबंध में साक्ष्य के रूप में ई0एम0 पार्ट–II की अभिप्रमाणित प्रति उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को समर्पित करना होगा। दो वर्षों के भीतर उत्पादन प्रारम्भ नहीं करने पर भूमि सम्परिवर्तन

शुल्क के समतुल्य राशि सूद के साथ वसूली करने हेतु उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

4. (i) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदित प्रस्ताव से संबंधित उद्यमियों/इकाइयों द्वारा यह सुविधा उत्पादन पूर्व प्राप्त करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र, विहित प्रपत्र–1 की कंडिका–11 के अनुसार शपथ–पत्र की मूल प्रति एवं विहित प्रपत्र–1 के द्वारा मांगे गए अन्य कागजात निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सीधे समर्पित करेंगे। निदेशक, तकनीकी विकास अपने स्तर से सभी औपचारिकताएँ पूरी कर निश्चित रूप से पन्द्रह दिनों के भीतर भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे एवं इसकी एक प्रति इकाई को भी उपलब्ध कराएंगे।

(ii) भूमि सम्परिवर्तन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की तिथि से दो वर्षों के भीतर इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के संबंध में साक्ष्य के रूप में ई0एम0 पार्ट–II/बृहत प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाई के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत उत्पादन तिथि से संबंधित पत्र की अभिप्रमाणित प्रति निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को समर्पित करना होगा। दो वर्षों के भीतर उत्पादन प्रारम्भ नहीं करने पर भूमि सम्परिवर्तन शुल्क के समतुल्य राशि सूद के साथ वसूली करने हेतु निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

5. उद्योग विभाग द्वारा इस संबंध में प्राधिकार पत्र निर्गत करने के उपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इकाई से प्राप्त आवेदन पर सभी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए भूमि सम्परिवर्तन में छूट की कार्रवाई करेंगे।

6. आवश्यकता होने पर इकाई का स्थल जाँच उद्योग विभाग के पदाधिकारियों से कराई जा सकेगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक– विहित प्रपत्र–1

Sd/- 1/09

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 1630 /पटना, दिनांक– 01.09.15
सं0सं0–4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:– निदेशक, (ह0रे0), बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बी0एस0एफ0सी0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिसिको, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 1/09/15

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 1630 /पटना, दिनांक– 01.09.15
सं0स0–4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd/- 1/09/2015

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रपत्र–1

(Format-1)

Application for claiming exemption in Land Conversion Fee

1. Name & address of the company/unit-
   (Regd. office & Factory location)
2. Name & address of Proprietor/Partner/Director/Managing Director-
3. Details of company registration-
4. Industrial Registration/Entrepreneur Memorandum/IEM-
5. Status of Unit (Micro/Small/Medium/Large)-
6. Date of approval of District Single Window Clearance Committee(DSWCL)/ State Investment Promotion Board(SIPB)-
7. Whether it is a new unit or expansion/diversification of unit-
8. Details of sale/lease deed of land -
   (Location Village/Block/Khata/Khesra etc.)
9. Stamp duty and registration fee paid (if any)-
   (Attach authority letter if exemption is availed under Industrial Incentive Policy, 2011)
10. Claim for land conversion fee-
11. The particulars furnished herein are in accordance with the records and are true to the best of my knowledge and belief. If I fail to make the required minimum investment and the land is used by me for other than industrial purpose in prescribed time frame or if the unit does not come into production within two years from the date of issuance of authority letter for 100% exemption in land conversion fee, the equal amout of land conversion fee with interest will be paid back by me to the Govt. of Bihar.

Government officials/authorised representatives will have exclusive right to visit the premises of the company/unit and ask for informations/clarifications as needed by them.

Signature of the applicant
(Name of the status of the signatory)

Documents enclosed :

1. E.M. Part-I/IEM, Part 'A'
2. Schedule of the lands with land map earmarking the Industrial Plot
3. Layout plan
4. Affidavit as per para-11 of the application
5. Project Report.
6. Sale/lease deed in the name of unit/company.